न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

(1) प्रकरण संख्या: 19/2019
(2) दायरा दिनांक: 12.9.2019

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

कनकसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- जूनी खराडी, पुलिस थाना आबूरोड शहर

''इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975''

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री पी.एल.दवे

-: निर्णय :- दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल कनकसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जूनी खराडी, पुलिस थाना आबूरोड शहर, जिला- सिरोही के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश एवं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है जो शराब का अवैध कारोबार कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल के अवैध शराब के कारोबार से आम लोगों, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय-समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नही होता है। गैरसायल के पूर्व में मुखबीर ईत्तला पर अवैध शराब परिवहन करता पाये जाने पर पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण व 1 प्रकरण मारपीट का दर्ज हुआ, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के 2 प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायलय को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है, उसके बावजूद भी गैरसायल अवैध शराब के कारोबार करने से बाज नही आ रहा है। गैरसायल के ऐसे कार्यकलापों से लोक व्यवस्था, जवानों एवं बच्चों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है एवं गैरसायल से आम जन में भय व्याप्त है व गैरसायल के भय से लोग पुलिस को सूचना देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति

.....लगातार पेज दो

भी तामिल करवाई गई। जिस पर गैरसायल ने आज दिनांक 18.12.2019 को इस न्यायालय में अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे के साथ उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया व लोक अदालत की भावना से आरोप/जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासें में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत पुलिस थाना आबूरोड शहर में 3 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें 2 प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल आले दर्जे का बदमाश है एवं अवैध शराब विक्रय करने के कारोबार में लिप्त है। गैरसायल द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने से आमजन व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है व गैरसायल वर्तमान में गुजरात राज्य के दाता गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध विगत छः माह में किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने उक्त प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने व लोगों को धमकाने आदि कोई मुकदमें दर्ज नही हुये है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज मुकदमें गंभीर प्रकृति के नही है, इसलिये गैरसालय के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल कनकसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जूनी खराडी, पुलिस थाना- आबूरोड़ शहर, जिला- सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 187/07.7.2015, 272/23.9.2019 व 95/03.4.2019 को दर्ज हुये जिनमें से अपराध संख्या 187/07.7.2015 व 95/03.4.2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रतियां व इन मुकदमों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल को अपराध संख्या 187/07.7.2015 व 95/03.4.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है, उक्त अपराध संख्या 187/07.7.15 व 95/03.4.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 13.2.2019 व 26.4.2019 की छाया प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनके अवलोकन से पाया गया कि उक्त दोनों अपराधों में गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष

.....पेज तीन पर

सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 03.4.2019 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

अत: उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल कनकसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जूनी खराडी, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला-सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन (एक माह) की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना आबूरोड़ शहर की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.23 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: